विषयः— **Order of the Hon'ble Supreme court 28.01.2019 on T.A No. 3924/2015 in WP (Civil) 202/1995 regarding changing status of forest land to revenue land in case of voluntary relocation of village, reg.**

सन्दर्भ :— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एफ.सी. डिवीजन) इन्दिरा पर्यावरण भवन, जौर बाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली की फाईल सं0 8–34/2017–एफ.सी. 20–05–2019 के उक्त विषयक पत्र के द्वारा चाही गयी बिन्दुवार वांछित सूचना निम्नवत् हैः—

भारत सरकार द्वारा उक्त सन्दर्भित पत्र से चाही गयी सूचना के बिन्दु	प्रतिउत्तर
1.Hon'ble Supreme Court order dated 28th January, 2019 where in Hon'ble Supreme Court based on recommendtation made in the CEC report dated 28.09.2018, in which it has extended the scope of its order dt. 21.11.2008 to all such cases of relocation/ rehabilitation of the Villages from the core /critical tiger reserves and core of the Protected areas (National Park and WL Sanctuaries) to the periphery of Reserved forest/ Sanctuaries/ National Parks subject to following conditions; a) resettlement /relocation within the boundaries of the notified forest land be considered only if suitable non-forest land is not available within the vicinity of the protected area from where the relocation is proposed.	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि अर्थात राजस्व विभाग के नियन्त्राधीन सिविल सोयम /बंजर भूमि उपलब्ध न होने के कारण जनपद–देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की स्थापना हेतु खाण्डगांव–3 के 10 परिवारों के विस्थापन/पुर्नवास हेतु आरक्षित वन लालपानी कक्ष सं0–2 में 2.40 है0 का चयनित प्रस्तावित है।
b) the District Collector concerned shall furnish to the NTCA a certificate of non-availability of land suitable for relocation of the villages located within the protected Area and Tiger Reserve before any proposal of relocation within the forest is approved.	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने व वन भूमि की मांग न्यूनतम होने के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी /वन विभाग एंव राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारियों /कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित प्रदत्त प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न है।
c) the land identified for relocation/ rehabilitation should not result in fragmentation of the forest /wildlife habitat.	32 परिवारों के विस्थापन /पुर्नवास हेतु पूर्व में आवंटित 26.00 है0 वन भूमि (भारत सरकार एंव राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों की प्रति संलग्न है।) से लगी अवशेष वन भूमि पर 10 परिवारों के विस्थापन /पुर्नवास हेतु आवंटित वन भूमि से लगी वन भूमि में वन्यजीवों के प्राकृतिक वासस्थलों एंव अन्य गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
d) the relocation activity shall be undertaken solely as a process of consolidation of the wildlife habitat.	राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की स्थापना हेतु खाण्डगांव–3 की खाली भूमि को वन्यजीवों के कोरीडोर के रूप में प्रयुक्त की जायेगी।
e) the relocation shall be undertaken only along the fringes of the forest such that all facilities to the resettled families can be provided without recourse to further diversion of forest land for providing infrastructure;	प्रयोक्ता एजेन्सी /वन विभाग द्वारा पुर्नवास हेतु प्रस्तावित लालपानी कक्ष सं0–2 में 2.40है0 आरक्षित वन भूमि में पुर्नवास की कार्यवाही की जायेगी।
f) the land /villages within the forest which have been vacated shall be brought under the protected area network through enabling notification under the Wildlife Protection Act after extinguishing all the existing rights over the vacated land.	प्रयोक्ता एजेन्सी /वन विभाग द्वारा वांछित कार्यवाही की जायेगी।

g) the extent of land de-reserved/de-notified for resettlement shall not be more than the extent vacated by the settlers in the core area; and	राजाजी राष्ट्रीय पार्क के अन्तर्गत चीला–मोतीचूर कोरिडोर की स्थापना हेतु खाण्डगांव–3 के 10 परिवारों की कुल 1.8850है0 भूमि के बदले उनके विस्थापन/पुर्नवास हेतु अन्य मूलभूत सुविधाओं यथा सड़क, स्कूल, पार्क एंव पनघट आदि के लिऐ कुल 2.40है0 वन भूमि उत्तराखण्ड़ शासन, वन एंव पर्यावरण अनुभाग–2, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 के आदेशानुसार लालपानी कक्ष सं0–2 में दी जानी प्रस्तावित है।
h) the payment of NPV and cost of CA may be exempted in all such cases of voluntary relocation/ rehabilitation of familes from the protected area s undertaken within the forest land.	अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन विभाग के नियन्त्राधीन 2.40है0 आरक्षित वन भूमि को पुर्नस्थापन हेतु प्रस्तावित किये जाने के फलस्वरूप वांछित वन भूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वन भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एंव एन0पी0वी0 का प्राविधान नहीं किया गया है।
2. In the regard, it is Informed that in compliance of the above order of the Hon'ble Supreme Court dt. 28.01.2019, the approval of the competent authority of the MoEF&CC is hereby conveyed for change ih the legal status of forest land in respect of all the 122 villages in 18 states(as mentioned in letter vide 12-12/2015-NTCA dataed 20.12.2018 of NTCA to Member Secretary, CEC) which have been relocated to forest areas from the National Parks, Wildlife Sanctuaries/Tiger reserves copies of letter of NTCA to CEC dt. 20.12.2018, Hon'ble Supreme Court ordefs dt. 21.11.2008 & 28.01.2019. Report of CEC dt. 26.12.2018 are enclosed.	प्रकरण में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशानुसार वांछित कार्यवाही की जायेगी।
3. It is also to inform that in future, all relocation/ rehabilitation cases involving forest land shall be considered for change in legal status of the forest land on case to case basis as per the provisions under Forest(Conservation) Act, 1980, subject to conditions at para-1 above.	पुर्नवास हेतु प्रस्तावित वन भूमि के सम्बन्ध में शासन स्तर के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रयोक्ता एजेन्सी /वन विभाग द्वारा वांछित कार्यवाही की जायेगी।

(डी0के0सिंह)
निदेशक/वन संरक्षक,
राजाजी टाइगर रिजर्व, उत्तराखण्ड़,
देहरादून।